

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [राजस्व], श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा अरायण बनाम राजस्थान सरकार

अन्तर्गत धारा 88 आरटीए प्रकरण 182 सन् 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/245

तामिल
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील में
जारी हुए

09.06.2023

राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक जरिए शाखा प्रबन्धक अरायण के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 88 में दर्ज रजिस्टर किया गया। शाखा प्रबन्धक के द्वारा निवेदन किया कि कृषक छोटी देवी उर्फ छोटी पत्नी रूपा राम जाति मेघवाल निवासी 40 एफ के द्वारा चक 40 एफ के मुरब्बा नम्बर 10, 28 की 1.897 हैक्टेयर भूमि राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा अरायण पास रहन रखकर ऋण प्राप्त किया हुआ है। ऑनलाईन जमाबन्दी तैयार करते समय सहवन से उक्त भूमि राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा अरायण के पक्ष में बंधक दर्ज हो गई है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि ऑनलाईन जमाबन्दी में उक्त भूमि राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा अरायण के स्थान पर राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा अरायण के पक्ष में रहन दर्ज किये जाने के आदेश दिए जावे।

शाखा प्रबन्धक को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अनुसूची धारा 6(1) के अधीन घोषणा के मुताबिक उक्त भूमि राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा अरायण में रहन रखकर ऋण प्राप्त किया हुआ है। जबकि वर्तमान जमाबन्दी में उक्त भूमि राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा अरायण पक्ष में रहन दर्ज है। यह एक लिपिकीय त्रुटि है। जिसे दुरुस्त किया जाना उचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी-1955 भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 40 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 19/19, 23/24 में रहन राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा अरायण के स्थान पर राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा अरायण दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। निर्णय आज दिनांक 09.06.2023 को प्रशासन गांवो के संग अभियान-2023 ग्राम पंचायत 10 ओ तेजेवाला में सुनाया गया। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।





अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा अरायण बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए मुकदमा नम्बर 182/2023

निर्णय दिनांक :- 09.06.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी स्वयं उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि राजस्व ग्राम 40 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 19/19, 23/24 में रहन राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा अरायण के स्थान पर राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा अरायण दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 09.06.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजादावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	02	00	योग	00	00



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांक: 09.06.2023

क्रमांक: रोडर/ 2023/319

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर